कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com
Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक :– 01/यो0ब0–43/2015– 730

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/पोड़ाहाट वन प्रमंडल, पोड़ाहाट/कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा/चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका/गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला/लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/राँची वन प्रमंडल, राँची/खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा।

दिनांक :–23/05/2016

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली ''लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना'' (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुसमी/रंगीनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषको को प्रोत्साहन देने) का तृतीय वर्ष कार्य हेतु कुल 125.124 लाख (एक करोड़ पचीस लाख बाहर हजार चार सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन के संबंध में।**

प्रसंग :– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या एवं पत्र संख्या 4/यो0बजट–03/2011–08/स्वी0 व0प0 दिनांक 17.07.2014 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0बजट–15/2006–08/आ0 व0प0 दिनांक 22.04.2016 ।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली ''लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना'' (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुसमी/रंगीनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषको को प्रोत्साहन देने) का तृतीय वर्ष कार्य हेतु **कुल 125.124 लाख (एक करोड़ पचीस लाख बाहर हजार चार सौ रुपये) मात्र** की स्वीकृति प्राप्त राशि राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या एवं पत्र संख्या

4/यो0बजट–03/2011–08/स्वी0 व0प0 दिनांक 17.07.2014 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0बजट–15 /2006–08/आ0 व0प0 दिनांक 22.04.2016 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :–

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	2406– वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–09–लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना	मजदूरी	19P240601796090103	67.672
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796090323	53.952
		प्रशिक्षण व्यय	19P240601796090335	3.500
कुल आवंटित राशि				**125.124**

अर्थात् कुल **125.124 लाख (एक करोड़ पचीस लाख बाहर हजार चार सौ रुपये) मात्र** राशि आवंटित की जाती है। ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्त्तमान आवंटित राशि **125.124 लाख (एक करोड़ पचीस लाख बाहर हजार चार सौ रुपये) मात्र** की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406– वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–09–लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक–1(क) एवं 1(ख) में अंकित विवरणी के अनुरुप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन की सफलता हेतु सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुश्रवण प्रतिवेदन नियमित रुप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों को अनुपालनार्थ एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे।

7. योजना के कार्यान्वयन हेतु लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन करते समय वन प्रमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन उनके द्वारा किया जाएगा वो लाह की खेती हेतु प्रोत्साहन की वन

विभाग/अन्य किसी विभाग/सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित योजना से पूर्व में आच्छादित/लाभान्वित नहीं रहे है।

8. वित्त विभाग के पत्रांकः 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी–पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम 300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरुप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतनद र के अनुरुप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हो।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

16. लाह उत्पादन एवं अन्य कार्यों का विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

18. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

19. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक–16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

20. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न–1 (क) एवं (ख), कार्य दर अनुलग्नक–2 (क) एवं (ख) एवं ऑन–लाईन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

23/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

18. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

19. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक–16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

20. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न–1 (क) एवं (ख), कार्य दर अनुलग्नक–2 (क) एवं (ख) एवं ऑन–लाईन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0 –43/2015– 730** राँची, दिनांक :–**23.05.2016**

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू//क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

23/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

18. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

19. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक–16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

20. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न–1 (क) एवं (ख), कार्य दर अनुलग्नक–2 (क) एवं (ख) एवं ऑन–लाईन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0 –43/2015– 730** राँची, दिनांक :–**23.05.2016**

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ /क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0 –43/2015– 730** राँची, दिनांक :–**23.05.2016**

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला/कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/ कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/कोषागार पदाधिकारी, दुमका/कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/ कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/ कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ कोषागार पदाधिकारी, लोहरदगा/ कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/ कोषागार पदाधिकारी, खूँटी/ कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2015-16\Development\Prastaw\TSP\Anudan/Jharkhand Zoo Autority . 4

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (रंगिनी लाह उत्पादन हेतु कृषकों को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रू0 लाख में)

क. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय वर्ष 2016–17			
		संयुक्त वन प्रबंधन समिति	वृक्षों की संख्या	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
2	पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
3	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
4	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
5	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
6	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
7	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
8	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	250.00	25000.00	9.454	7.594	0.500	17.548
9	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
10	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
11	राँची वन प्रमंडल, राँची	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
	योग :–	**1500.00**	**150000.00**	**56.724**	**45.564**	**3.000**	**105.288**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

D:\2016-17\Sub-Allotment 2016-17\TSP\MFP\MFP (3rd Year)

वित्तीय वर्ष 2016—17 में कार्यान्वित की जानेवाली ''लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना'' (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (कुसुमी लाह उत्पादन हेतु कृषकों को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रू0 लाख में)

क. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय वर्ष 2016—17			
		संयुक्त वन प्रबंधन समिति	वृक्षों की संख्या	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
i	ii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv
1	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी	125.00	12500.00	5.474	4.194	0.250	9.918
2	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	125.00	12500.00	5.474	4.194	0.250	9.918
	योग :—	**250.00**	**25000.00**	**10.948**	**8.388**	**0.500**	**19.836**

23/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

कुसुमी लाह उत्पादन हेतु दर तालिका

कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना (तीन वर्षीय) की कार्य दर

लाह–पोषक प्रजाति कुसुम के वृक्षों की संख्या–12500 प्रति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार, मजदूरी दर – रू० 187.43 प्रति मानव दिवस)

(रू० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					द्वितीय वर्ष मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					तृतीय वर्ष मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
1	वृक्षों का चिह्नांकन	रू० 2.65 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.331	0.000	0.000	0.331		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.331	प्रति लाभुक परिवार 10 कुसुम के वृक्षों का चिन्हांकन किया जाएगा जिसे तीन सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट–1 के लाभार्थियों द्वारा पूर्व से ही कटाई छटाई किए गए 3750 (3 वृक्ष प्रति परिवार) उपलब्ध वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह मे बीहन लाह का संचारण किया जाएगा एवं सेट–2 के 5000 वृक्षों (4 वृक्ष प्रति परिवार) की कटाई छटाई की जाएगी।
1	प्रशिक्षण																		
	(क) हितग्राही परिवारों के एक–एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रू० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250	3.750	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक–एक शिक्षित सदस्य /प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रू० प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.260	0.260					0.000					0.000	0.260	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची (IINRG) के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रू० 1775/– प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219		2.219					0.000					0.000	2.219	प्रथम वर्ष में सेट–1 के लाभार्थी द्वारा कटाई छटाई किए गए 3750 (3 वृक्ष प्रति परिवार) उपलब्ध वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण किया जाएगा एवं सेट–2 के 5000 वृक्षों की कटाई छटाई की जाएगी। द्वितीय वर्ष में सेट–3 के 3750 वृक्षों की कटाई छटाई एवं सेट–2 के 5000 वृक्षों पर बीहन लाह का संचारण किया जाएगा। तृतीय वर्ष में सेट –3 के 3750 वृक्षों पर बीहन लाह का संचारण।
4	वृक्षों की कटाई–छँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	5000 वृक्ष	2.216			2.216	3750 वृक्ष	1.662			1.662					0.000	3.878	
5	बीहन लाह का क्रय	4 कि० ग्राम प्रति वृक्ष; रू० 200 प्रति कि०ग्रा०	3750 वृक्ष		30.000		30.000	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 5000 वृक्ष				0.000	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 3750 वृक्ष				0.000	30.000	
6	संचारण व्यय	1 मा० दि० प्रति 5 वृक्ष	3750 वृक्ष	1.662			1.662	5000 वृक्ष	2.216			2.216	3750 वृक्ष	1.662			1.662	5.540	
7	फसल संरक्षण पर व्यय	60 रू० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)	3750 वृक्ष		2.250		2.250	5000 वृक्ष		3.000		3.000	3750 वृक्ष		2.250		2.250	7.500	
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे (गटोर) मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रू०			7.500		7.500					0.000					0.000	7.500	
9	फुन्की का स्केपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	3750 वृक्ष	0.332			0.332	5000 वृक्ष	0.443			0.443	3750 वृक्ष	0.332			0.332	1.108	
10	तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250		0.250			0.250		0.250		0.000	0.250		0.250	0.750	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक@ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक/माह	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	0.300	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1.500	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रू० प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			1.440	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	7.200	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड/प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)			0.000	0.500		0.500			0.500		0.500			0.500		0.500	1.500	
	कुल			*6.282*	*43.719*	*0.510*	*50.512*		*7.801*	*4.750*	*0.250*	*12.801*		*5.474*	*4.000*	*0.250*	*9.724*	*73.037*	
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Inclunding MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)				1.010		1.010			0.256		0.256			0.194		0.194	1.461	
	सकल योग			6.282	44.729	0.510	51.522		7.801	5.006	0.250	13.057		5.474	4.194	0.250	9.919	74.497	

नोट : वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर योजना का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित दर तालिका

रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना का प्रस्तावित कार्य दर

लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या–12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार, मजदूरी दर – रू० 221.61 प्रति मानव दिवस)

(रू० लाख में)

क्र0 सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					द्वितीय वर्ष मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					तृतीय वर्ष मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
1	वृक्षों का चिह्नांकन	रू० 2.85 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.331	0.000	0.000	**0.331**		0.000	0.000	0.000	**0.000**		0.000	0.000	0.000	**0.000**	**0.331**	प्रति लाभुक परिवार 10 पलाश के वृक्षों का चिन्हांकन किया जाएगा जिसे 5–5 वृक्षों के दो सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट–1 एवं द्वितीय वर्ष में सेट –2 के वृक्षों की कटाई–छटाई फरवरी/मार्च माह में की जाएगी।
2	प्रशिक्षण																		
	(क) हितग्राही परिवारों के एक–एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रू0 प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	**1.250**			1.000	0.250	**1.250**			1.000	0.250	**1.250**	**3.750**	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक–एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.260	**0.260**					**0.000**					**0.000**	**0.260**	
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रू० 1775/– प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219		**2.219**					**0.000**					**0.000**	**2.219**	प्रथम वर्ष फरवरी/मार्च में सेट–1 के 6250 वृक्षों की कटाई–छटाई (50 वृक्ष प्रति 10 लाभुक परिवार) एवं द्वितीय वर्ष में सेट–2 के वृक्षों की कटाई–छटाई की जाएगी।
4	वृक्षों की कटाई–छँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	6250 वृक्ष	2.770			**2.770**	6250 वृक्ष	2.770			**2.770**					**0.000**	**5.540**	
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम प्रति वृक्ष; रू० 200 प्रति कि०ग्रा०					**0.000**	6250 वृक्ष		8.750		**8.750**	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 6250 वृक्ष				**0.000**	**8.750**	
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष					**0.000**	6250 वृक्ष	0.693			**0.693**	6250 वृक्ष	0.693			**0.693**	**1.385**	क्रय किए गए बीहन लाह से द्वितीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में बीहन लाह का संचारण सेट–1 के वृक्षों पर किया जाएगा तथा तृतीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में सेट–2 के वृक्षों पर संचारण किया जाएगा जिसके लिए सेट–1 के वृक्षों से प्राप्त बीहन लाह का उपयोग किया जाएगा।
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रू० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)					**0.000**	6250 वृक्ष		1.875		**1.875**	6250 वृक्ष		1.875		**1.875**	**3.750**	
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे (गटोर) मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रू0								7.500		**7.500**					**0.000**	**7.600**	
9	फुन्की का स्क्रेपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष					**0.000**	6250 वृक्ष	0.554			**0.554**	6250 वृक्ष	0.554			**0.554**	**1.108**	
10	तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250		**0.250**			0.250		**0.250**		0.000	0.250		**0.250**	**0.750**	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	**0.300**	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	**0.600**	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	**0.600**	**1.500**	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रू0 प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			**1.440**	12 CRP (12 माह)	2.880			**2.880**	12 CRP (12 माह)	2.880			**2.880**	**7.200**	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड/प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)			0.000	0.500		**0.500**			0.500		**0.500**			0.500		**0.500**	**1.500**	
	कुल			***4.841***	***3.969***	***0.510***	***9.320***		***7.497***	***19.875***	***0.250***	***27.622***		***4.727***	***3.625***	***0.250***	***8.602***	***45.543***	
16	**Concurrent Monitoring and Evaluation (Inclunding MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)**	**.@ 2 % of Project cost**			0.186		**0.186**			0.552		**0.552**			0.172		**0.172**	**0.911**	
	सकल योग			**4.841**	**4.155**	**0.510**	**9.507**		**7.497**	**20.427**	**0.250**	**28.174**		**4.727**	**3.797**	**0.250**	**8.774**	**46.454**	

नोट : वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर योजना का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

झारखण्ड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/730

दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29988	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ
2	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29989	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ
3	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29990	SGHFOR002 SATISH CHANDRA RAI D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ

योग: 1,418,100.00

क्रमिक योग: रुपये चौदह लाख अठारह हजार एक सौ

23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

172.16.20.1

Run Date: 23/5/2016

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/730 दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29992	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ
5	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29994	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ
6	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29995	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ
7	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29996	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ

योग: 1,890,800.00

क्रमिक योग: रुपये तैतीस लाख आठ हजार नौ सौ 3,308,900.00

Chauhan 23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/730 दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29997	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	945,400.00 रुपये नौ लाख पैंतालीस हजार चार सौ
9	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29998	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ
10	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29999	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ
11	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	30000	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ

योग: 2,363,500.00

क्रमिक योग: रुपये छप्पन लाख बहत्तर हजार चार सौ 5,672,400.00

23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	30001	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	547,400.00 रुपये पॉच लाख सैतालीस हजार चार सौ
13	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	30002	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	547,400.00 रुपये पॉच लाख सैतालीस हजार चार सौ
14	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30004	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ
15	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30005	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ

योग: 1,854,200.00

क्रमिक योग: रुपये पचहत्तर लाख छब्बीस हजार छः सौ 7,526,600.00

23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/730 दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30007	SGHFOR002 SATISH CHANDRA RAI D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ
17	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30011	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ
18	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30013	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ
19	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30015	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ

योग: 1,518,800.00

क्रमिक योग: रुपये नब्बे लाख पैंतालीस हजार चार सौ 9,045,400.00

23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

 172.16.20.1 RANCHI Run Date: 23/5/2016

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/730

दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30018	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ
21	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30023	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	759,400.00 रुपये सात लाख उनसठ हजार चार सौ
22	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30026	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ
23	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30029	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ

योग: 1,898,500.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड नौ लाख तीरयालीस हजार नौ सौ 10,943,900.00

23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

 172.16.20.1 RANCHI Run Date: 23/5/2016

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/730 दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30032	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ
25	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30033	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	419,400.00 रुपये चार लाख उन्नीस हजार चार सौ
26	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30036	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	419,400.00 रुपये चार लाख उन्नीस हजार चार सौ
27	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30038	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	25,000.00 रुपये पच्चीस हजा

योग: 1,243,500.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड इक्कीस लाख सित्यासी हजार चार सौ 12,187,400.00

23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/730 दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30040	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
29	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30041	SGHFOR002 SATISH CHANDRA RAI D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
30	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30045	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
31	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30049	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार

योग: 100,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड बाइस लाख सित्यासी हजार चार सौ 12,287,400.00

23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/730 दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30050	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
33	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30051	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
34	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30052	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	50,000.00 रुपये पचास हजार
35	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30053	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार

योग: 125,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड चौइस लाख बारह हजार चार सौ 12,412,400.00

23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/730

दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
36	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30055	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
37	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30056	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
38	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30057	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
39	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30058	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार

योग: 100,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड पच्चीस लाख बारह हजार चार सौ 12,512,400.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 172.16.20.1 Run Date: 23/5/2016